

प्रेषक,

डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)।
- 2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- निदेशक, सूडा, उ०प्र०।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2022

विषय:- नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1145/9-8-2022, दिनांक 09 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 09 जून, 2022 को अवकमित करते हुए अनुरोध है कि नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में निर्माण कार्यों से संबंधित द्वितीय या तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृति किये जाने हेतु प्रस्तावों को प्रेषित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित निर्माण कार्य के लेटेस्ट फोटोग्राफ तिथि सहित अवश्य उपलब्ध हों। यह फोटोग्राफ निर्माण कार्य के पूर्व, निर्माण कार्य के समय और निर्माण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात संबंधित कार्यदायी संस्था के तकनीकी अधिकारी तथा विभाग के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से निर्माण कार्य के बैकग्राउण्ड में खींचा गया हो। फोटोग्राफ पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर भी तिथि सहित अंकित हो।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त के आलोक में ही वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

22.6.22

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे दैनिक समचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(के०पी० सिंह)
अनुसचिव